

जन सुनवाई का कार्यवाही विवरण

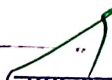
भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 व इसकी संशोधित अधिसूचनाओं में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तावित खनन परियोजना मैसर्स रास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एम एल नंबर 16/2024, (प्लॉट नं. 11) प्रस्तावित क्षेत्र— 55.00 हेक्टेयर, प्रस्तावित खनन क्षमता— 115191.936 टीपीए, जो कि कलक्टर (प्लॉट नं. 10, एम एल नंबर 15/2024, प्लॉट नं. 11, एम एल नंबर 16/2024) निकट गांव — जसनगर, तहसील— रियांवड़ी, जिला — नागौर (राज) में स्थित है में बजरी (नदी रेत) खनन की पर्यावरण स्वीकृति हेतु जनसुनवाई जिला कलक्टर नागौर के प्रतिनिधि श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नागौर की अध्यक्षता में एवं श्री राजकुमार मीणा, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर की उपस्थिति में भारत निर्माण राजीव सेवा केंद्र (आई.टी. सेंटर) गांव— जसनगर, तहसील— रियांवड़ी, जिला— नागौर (राजस्थान) में दिनांक 28.04.2025 को प्रातः 11:00 बजे आयोजित की गई। उक्त क्लस्टर क्षेत्र में आने वाली खनन इकाइयों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	खनन पट्टे	एम.एल. नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	उत्पादन आरओएम (एमटी/टीपीए)
1.	मैसर्स रास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	प्लॉट नं. 11, एम एल नंबर 16/2024	55.00	115191.936
2.	श्री सुनील चौधरी	प्लॉट नं. 10, एम एल नंबर 15/2024	52.9856	106875.93

जन सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों का विवरण मय हस्ताक्षर परिशिष्ट “अ” पर संलग्न है। जनसुनवाई बाबत विज्ञप्ति दिनांक 26.03.2025 को समाचार पत्र ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ एवं दिनांक 25.03.2025 को समाचार पत्र ‘दैनिक नवज्योति’ में प्रकाशित करवाई गई थी, जिसकी प्रतियाँ परिशिष्ट “ब” पर संलग्न है।

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर ने सभी आगुन्तकों का स्वागत करते हुए अवगत करवाया कि उक्त जनसुनवाई भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 व इसकी संशोधित अधिसूचनाओं में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय, नागौर द्वारा आयोजित की जा रही है, जिसमें जिला कलेक्टर महोदय की तरफ से अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नागौर को प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। उक्त जन सुनवाई की सूचना दो समाचार पत्रों में 30 दिवस पूर्व दी जा चुकी है। क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को बताया गया कि उक्त खनन परियोजना से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी खनन परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार द्वारा दी जायेगी। सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनने के पश्चात उपस्थित आमजन खनन परियोजना के सम्बन्ध में आपत्ति या सुझाव दर्ज करवा सकते हैं। उक्त जनसुनवाई की विडियोग्राफी भी करवाई जा रही है। जनसुनवाई विडियोग्राफी एवं दिये गये आक्षेप/सुझाव क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) को प्रेषित कर दिये जायेंगे। इसके पश्चात अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय की अनुमति से प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्तुतिकरण हेतु मैसर्स रास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार मैसर्स उदयपुर मीन-टेक प्राइवेट लिमिटेड को आमंत्रित किया गया।


क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)


(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार मैसर्स उदयपुर मीन-टेक प्राईवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि द्वारा खनन परियोजना का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत बताया गया कि उक्त खनन परियोजना निकट गांव - जसनगर, तहसील- रियांवड़ी, जिला - नागौर (राज) में खनिज- बजरी (नदी रेत) खनन हेतु प्रस्तावित है, जिसका एम एल नंबर 16/2024, (प्लॉट नं. 11) प्रस्तावित क्षेत्र- 55.00 हेक्टेयर, प्रस्तावित खनन क्षमता- 115191.936 टीपीए, जो कि कलक्टर (प्लॉट नं. 10, एम एल नंबर 15/2024, प्लॉट नं. 11, एम एल नंबर 16/2024) निकट गांव - जसनगर, तहसील- रियांवड़ी, जिला - नागौर (राज), बजरी (नदी रेत) खनन परियोजना होगी। तत्पश्चात पर्यावरणीय सलाहकार ने खान की अवधि, खान का परिचय, खनन योजना, क्लस्टर परियोजना का विवरण मय नक्शा, खनिज भण्डार, खनन प्रक्रिया, जलवायु, जल बहाव, ढांचा और खनन गतिविधियों के द्वारा जैव विविधता, मिट्टी, पर्यावरणीय, वायु और ध्वनि पर्यावरण पर प्रभाव एवं उनके शमीकरण/रोकथाम के उपायों के बारे में बताया तथा साथ ही पर्यावरणीय मापदंडों की निगरानी कार्यक्रम एवं प्रस्तावित सामाजिक दायित्व (सी. एस.आर) के बारे में बताया।

खनन इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा खनन परियोजना की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाने के पश्चात क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित समस्त जनसमूह को इस खनन परियोजना के सम्बन्ध में अपने आक्षेप/सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया।

सर्वप्रथम श्री महिपाल जाजड़ा, निवासी जसनगर ने कहा कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में रोजगार सबके लिए अति आवश्यक है, अतः हमें इस परियोजना से अधिकाधिक प्रत्यक्ष रोजगार मिले।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने कहा कि आपका सुझाव महत्वपूर्ण है, तथा एडीएम महोदय ने परियोजना सलाहकार से पूछा कि स्थानीय लोगों के रोजगार के लिए आपके पास क्या प्रावधान है? जिसके जवाब में पर्यावरणीय सलाहकार ने कहा कि तकरीबन 65 लोगों को माईनिंग प्लान के अनुसार रोजगार दिया जायेगा, जिसमें अधिकतर जसनगर क्षेत्र के ही व्यक्ति होंगे।

श्री प्रदीप मुवाल, निवासी जसनगर ने कहा कि बजरी खनन के कारण रास्ते अवरुद्ध होंगे। जिसे कैसे रोकेंगे? जिस पर एडीएम महोदय ने पर्यावरणीय सलाहकार से पूछा कि आप द्वारा बजरी खनन नदी के रास्तों में से होगा या अन्य स्थान से तथा इसका परिवहन कैसे होगा?

पर्यावरणीय सलाहकार ने जवाब में बताया कि बजरी खनन सरकार द्वारा नदी के अन्दर चिन्हित स्थल से किया जायेगा तथा परिवहन के लिए गांव के रास्तों का उपयोग न करके बाह्य रास्तों का उपयोग किया जायेगा। साथ ही गांव के रास्तों के खराब होने पर उनके मरम्मत का कार्य भी करवाया जायेगा।

श्री वासुदेव निवासी गेमलियावास ने कहा कि इस परियोजना के तहत सामाजिक कार्यों के लिए क्या प्लान है?

एडीएम महोदय ने पर्यावरणीय सलाहकार से पूछा कि आपके सीएसआर गतिविधियों के तहत क्या प्लान है?

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य पर्यावरण निंत्रण मण्डल
नागौर (राज.)

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

पर्यावरणीय सलाहकार ने कहा कि सीएसआर फण्ड के लिए 17 लाख रुपये प्रस्तावित है, जिसके तहत स्कूलों एवं अन्य सार्वजनिक कार्यों के लिए खर्च किये जायेंगे। जो कि ग्राम पंचायत एवं स्थानीय अधिकारियों की परामर्श से ही होगा।

एडीएम महोदय ने पूछा कि ये 17 लाख रुपये एक बार में या फिर प्रति वर्ष के लिए हैं? जिसके जवाब में पर्यावरणीय सलाहकार ने बताया कि प्रतिवर्ष 17 लाख रुपये ग्राम पंचायत की आवश्यकता के अनुसार योगदान होगा।

श्री शंकरलाल जाट, निवासी जसनगर ने कहा कि बजरी खनन नदी की कितनी गहराई तक किया जायेगा? जिसके सम्बन्ध में पर्यावरणीय सलाहकार ने अवगत करवाया कि सतही स्तर से 1.5 मीटर की गहराई तक ही खनिज का खनन किया जायेगा।

श्री प्रदीप मुवाल, निवासी जसनगर ने कहा कि बजरी परिवहन के समय क्या बजरी के डम्पर या ट्रौली को तिरपाल से ढका जायेगा?

पर्यावरणीय सलाहकार ने बताया कि सड़कों पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा परिवहन के समय बजरी के डम्पर या ट्रौली को तिरपाल से ढका जायेगा।

श्री ओमप्रकाश चौधरी, निवासी जसवन्ताबाद ने कहा कि कैसे स्थानीय लोगों को बजरी की दरों में रियायत मिलेगी?

पर्यावरणीय सलाहकार ने कहा कि अगर राज्य सरकार हमें अनुमति प्रदान करें तो दरों में रियायत दी जा सकती है, अन्यथा सरकारी नियमानुसार दरें निर्धारित होगी।

एडीएम महोदय ने कहा कि आपके इस सुझाव के लिए हम सरकार से अनुरोध करेंगे।

श्री रामनिवास लाड़वा ने कहा कि सब सही है, आप खनन प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।

श्री महिपाल जाजड़ा, निवासी जसनगर ने कहा कि इस परियोजना के द्वारा पर्यावरण को होने वाली हानि के सुधार के लिए आपके पास क्या-क्या विकल्प हैं?

पर्यावरणीय सलाहकार ने बताया कि ग्राम पंचायत तथा आसपास के क्षेत्र में लगभग 18 हजार पौधे लगाये जाएंगे। तथा परिवहन के सुधार के लिए सड़कों पर पानी की नियमित छिड़काव किया जायेगा। एवं समय-समय पर स्वास्थ्य जांच शिविर नियमित आयोजित किये जायेंगे।

श्री मेघराम, निवासी जसनगर ने कहा कि कितने दिनों में यह खनन कार्य प्रारम्भ होगा?

पर्यावरणीय सलाहकार ने बताया कि प्रक्रिया के अनुसार कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। आज की जनसुनवाई की कार्यवाही विवरण (Meeting of Minutes) राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) भेजे जायेंगे, फिर उनके द्वारा पर्यावरण मंजूरी प्रदान की जायेगी, तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा सम्मति प्रदान करने के पश्चात खनन कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

श्री राकेश कुमार टाक, निवासी जसनगर ने कहा कि इस परियोजना के तहत कितना पौधारोपण किया जायेगा?

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

पर्यावरणीय सलाहकार ने बताया कि ग्राम पंचायत की जमीन पर सरकारी निकाय/स्थानीय अधिकारियों के परामर्श से सड़क मार्ग और वैकल्पिक स्थलों पर लगभग 18150 पौधे, जो कि 3630 पौधे प्रतिवर्ष रोपे जायेंगे।

एडीएम महोदय ने पर्यावरणीय सलाहकार से पूछा कि इस परियोजना के तहत आपके द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक विकास कार्यक्रम हेतु कितना व्यय किया जायेगा?

पर्यावरणीय सलाहकार ने कहा कि सामाजिक एवं आर्थिक विकास कार्यक्रम हेतु 17 लाख निम्नानुसार प्रस्तावित है:-

क्रमांक	ब्योरे	पूँजीगत लागत (रूपये)	आवर्तीलागत (प्रतिवर्ष)
1.	स्कूल और पीएचसी के विकास, ग्राम पंचायत की आवश्यकताओं को पूरा करना, स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन, महिला और बाल विकास और जागरूकता कार्यक्रम, शिक्षा के रूप में गरीब छात्रों आदि के लिए स्थानीय ग्रामीणों की आवश्यकता के अनुसार ग्राम पंचायत और स्थानीय अधिकारियों के साथ परामर्श के बाद गांव के विकास (सीईआर) में योगदान देना।	17,00,000	17,00,000

उक्त बजट ग्राम पंचायत एवं स्थानीय अधिकारियों के परामर्श से ही व्यय किया जायेगा।

श्री राकेश कुमार टाक, निवासी जसनगर ने कहा कि क्या डीएमएफटी फण्ड ग्राम पंचायत के लिए ही उपयोग होगा? जिसके प्रत्युत्तर में एडीएम महोदय ने कहा कि डीएमएफटी फण्ड का उपयोग उसी क्षेत्र के विकास के लिए प्रयोग होता है, जिस क्षेत्र में खनन कार्य हो।

श्री महिपाल जाजड़ा, निवासी जसनगर ने कहा कि इस क्षेत्र में बहुत वर्षों बाद बारिश से नदी आई थी, एवं अवैध खनन के कारण आम रास्तें भी अवरुद्ध हो रहे हैं।

एडीएम महोदय, ने पर्यावरणीय सलाहकार से कहा कि इस सम्बन्ध में आपके पास क्या प्लान है?

पर्यावरणीय सलाहकार ने बताया कि इस परियोजना के तहत खनन कार्य माईनिंग प्लान के अनुसार ही किया जायेगा। नदी खनन के दौरान नदी का रास्ता (चैनल) बनता है, जिससे बाढ़ की संभावना कम होती है। तथा इसके तहत आम रास्तों को बाधित नहीं किया जायेगा।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जन-मानस से प्रस्तावित खनन परियोजना के सम्बन्ध में अपने आक्षेप/सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु पुनः निवेदन किया गया।

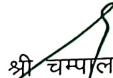
एडीएम महोदय ने जन-मानस को आश्वासन देते हुए कहा कि ग्रामवासियों के लिए बजरी की दरों में रियायत को लेकर आपकी जो मांग है, उसे उच्च स्तर पर भिजवाया जायेगा। तथा डीएमएफटी फण्ड स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार इसी क्षेत्र में उपयोग किया जायेगा।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जन-मानस से प्रस्तावित खनन परियोजना के सम्बन्ध में अपने आक्षेप/सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु पुनः निवेदन किया गया। अन्त में ग्रामवासियों द्वारा अन्य कोई आपत्ति/आपेक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने पर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय की अनुमति से क्षेत्रीय अधिकारी ने जनसुनवाई के समापन की घोषणा की एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय तथा उपस्थित जन समुदाय का जन सुनवाई में आने के लिए आभार प्रकट किया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जनसुनवाई के दौरान एवं जनसुनवाई के पश्चात ग्राम पंचायत ग्रामवासियों के माध्यम से लिखित में कोई भी आक्षेप इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है।


श्री अजित कुमार मिश्रा
क्षेत्रीय अधिकारी, मण्डल
नागौर सं.प्र.वि.म. (नागौर)


श्री चम्पालाल जीनगर,
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
नागौर (चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

उपस्थिति पंजिका

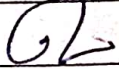
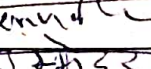
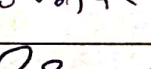
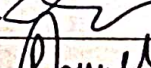
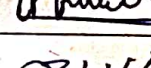
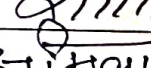
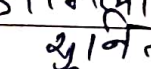
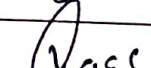
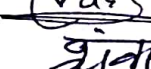
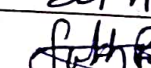
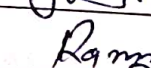
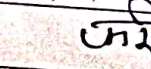
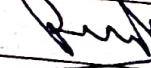
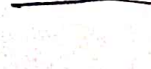
बजरी (नदी रेत) खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

प्रस्तावित बजरी (नदी रेत) खनन परियोजना, आवेदक मैसर्स रास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एम एल नंबर 16/2024, (प्लॉट नं. 11) प्रस्तावित क्षेत्र- 55.00 हेक्टेयर, प्रस्तावित खनन क्षमता- 115191.936 टीपीए, जो कि कलक्टर (प्लॉट नं. 10, एम एल नंबर 15/2024, प्लॉट नं. 11, एम एल नंबर 16/2024) निकट गांव - जसनगर, तहसील- रियांबड़ी, जिला - नागौर (राज) में स्थित है।

स्थान:-भारत निर्माण राजीव सेवा केंद्र (आई.टी. सेंटर) गांव- जसनगर, तहसील- रियांबड़ी, जिला- नागौर (राज)

दिनांक: 28.05.2025,

समय: प्रातः 11:00 बजे

क्र.म.	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	परमजित शर्मा	AD 5	
2.	Suresh Kumar	SDM	
3.	Bhim Rai	TDR	
4.	Hemant Meena	RO, RSPCB Nagaur	
5.	Hemant Kumar	JEE RSPCB Nagaur	
6.	Pooja Bhatnagar	Junior Assistant	
7.	Vinod Kumar	Jamnagar, Riam	
8.	Shivraj Bauri	Ladua, Riam	
9.	Pradeep Kumar	Satlas, Merta	
10.	अमिताभ सिंह	जसनगर	
11.	अमिताभ सिंह	Ailaniyawaas	
12.	Om Singh	Gemliyawas, Merta.	
	Vasudav Savasawat	Gemliyawas	
	अनिल	जसनगर	
	Sukh Ram Chotiya	जसनगर	
	Ramvir Chotiya	जसनगर	
	अनिल	जसनगर	
	SHARMA	जसनगर	
	Ram Lal	जसनगर	
	पुष्प सिंह	जसनगर	
	अमिताभ	जसनगर	

उपस्थिति पंजिका

बजरी (नदी रेत) खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

प्रस्तावित बजरी (नदी रेत) खनन परियोजना, आवेदक मैसर्स रास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एम एल नंबर 16/2024, (प्लॉट नं. 11) प्रस्तावित क्षेत्र- 55.00 हेक्टेयर, प्रस्तावित खनन क्षमता- 115191.936 टीपीए, जो कि कलक्टर (प्लॉट नं. 10, एम एल नंबर 15/2024, प्लॉट नं. 11, एम एल नंबर 16/2024) निकट गांव - जसनगर, तहसील- रियांबडी, जिला - नागौर (राज) में स्थित है।

स्थान:-भारत निर्माण राजीव सेवा केंद्र (आई.टी. सेंटर) गांव- जसनगर, तहसील- रियांबडी, जिला- नागौर (राज)

दिनांक: 28.05.2025,

समय: प्रातः 11:00 बजे

[illegible]



जन सुनवाई
राजस्थान राज्य पदचण नियंत्रण मण्डल, भागीर के द्वाारा
जसनगर बजरी (रिवर सैंड) खनन परियोजना
 (कलक्टर स्थिति के अंतर्गत)

[पत्रा सं. 11, एम. नं. 18/2024]

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भागीर की अध्यक्षता में

ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14 सितंबर 2008 एवं तथा संबंधित अधिनियमों के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जन सुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत किया है।

निकट याम- जसनगर, तहसील- रिवाबरी, जिला- नागौर, राजस्थान

आवेदित क्षेत्फल: 55.00 हेक्टेयर, उपपटल क्रमांक: 115191936 रन प्रति वर्ग खनिज सैंड (बजरी)

कलक्टर से खनन पट्टा सं. के अन्तर्गत 02, कलक्टर सं. 187/5656 खनन
 (कलक्टर में मौजूद प्लान सं. 10)

कलक्टर क्षेत्र उत्पादन क्षमता: 2,22,067.895 टन प्रति वर्ष खनिज सैंड (बजरी)

जन सुनवाई स्थल: भारत निर्माण राजीव रोसा कं. (आई.टी. सेंटर) जसनगर, तहसील- रिवाबरी, जिला- नागौर

दिनांक: 28.04.2025 **समय: रात 11:00 बजे**

अध्यक्ष	आयोजक	अतिथि	पर्यवेक्षण समिति
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट नागौर (राजस्थान)	क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य पदचण नियंत्रण मण्डल, जिला नागौर (राजस्थान)	मैजरी राज इंडिया कं. लिमिटेड जिला- 2 ^{वां} चलोड, विजय नगर 114, एन. जॉर्ज, जे. मजसगर, जिला- श्री गंगानगर (राजस्थान)	जे. एन. एन. समुदाय पता: जी-88 रोड 65 जिला- जलालाबाद 201301









SHIRAZ

(S) 94 74 74 74

Registered Offices (in TOWERS) 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, 31st, 32nd, 33rd, 34th, 35th, 36th, 37th, 38th, 39th, 40th, 41st, 42nd, 43rd, 44th, 45th, 46th, 47th, 48th, 49th, 50th, 51st, 52nd, 53rd, 54th, 55th, 56th, 57th, 58th, 59th, 60th, 61st, 62nd, 63rd, 64th, 65th, 66th, 67th, 68th, 69th, 70th, 71st, 72nd, 73rd, 74th, 75th, 76th, 77th, 78th, 79th, 80th, 81st, 82nd, 83rd, 84th, 85th, 86th, 87th, 88th, 89th, 90th, 91st, 92nd, 93rd, 94th, 95th, 96th, 97th, 98th, 99th, 100th, 101st, 102nd, 103rd, 104th, 105th, 106th, 107th, 108th, 109th, 110th, 111th, 112th, 113th, 114th, 115th, 116th, 117th, 118th, 119th, 120th, 121st, 122nd, 123rd, 124th, 125th, 126th, 127th, 128th, 129th, 130th, 131st, 132nd, 133rd, 134th, 135th, 136th, 137th, 138th, 139th, 140th, 141st, 142nd, 143rd, 144th, 145th, 146th, 147th, 148th, 149th, 150th, 151st, 152nd, 153rd, 154th, 155th, 156th, 157th, 158th, 159th, 160th, 161st, 162nd, 163rd, 164th, 165th, 166th, 167th, 168th, 169th, 170th, 171st, 172nd, 173rd, 174th, 175th, 176th, 177th, 178th, 179th, 180th, 181st, 182nd, 183rd, 184th, 185th, 186th, 187th, 188th, 189th, 190th, 191st, 192nd, 193rd, 194th, 195th, 196th, 197th, 198th, 199th, 200th, 201st, 202nd, 203rd, 204th, 205th, 206th, 207th, 208th, 209th, 210th, 211st, 212nd, 213th, 214th, 215th, 216th, 217th, 218th, 219th, 220th, 221st, 222nd, 223rd, 224th, 225th, 226th, 227th, 228th, 229th, 230th, 231st, 232nd, 233rd, 234th, 235th, 236th, 237th, 238th, 239th, 240th, 241st, 242nd, 243rd, 244th, 245th, 246th, 247th, 248th, 249th, 250th, 251st, 252nd, 253rd, 254th, 255th, 256th, 257th, 258th, 259th, 260th, 261st, 262nd, 263rd, 264th, 265th, 266th, 267th, 268th, 269th, 270th, 271st, 272nd, 273rd, 274th, 275th, 276th, 277th, 278th, 279th, 280th, 281st, 282nd, 283rd, 284th, 285th, 286th, 287th, 288th, 289th, 290th, 291st, 292nd, 293rd, 294th, 295th, 296th, 297th, 298th, 299th, 300th, 301st, 302nd, 303rd, 304th, 305th, 306th, 307th, 308th, 309th, 310th, 311st, 312nd, 313th, 314th, 315th, 316th, 317th, 318th, 319th, 320th, 321st, 322nd, 323rd, 324th, 325th, 326th, 327th, 328th, 329th, 330th, 331st, 332nd, 333rd, 334th, 335th, 336th, 337th, 338th, 339th, 340th, 341st, 342nd, 343rd, 344th, 345th, 346th, 347th, 348th, 349th, 350th, 351st, 352nd, 353rd, 354th, 355th, 356th, 357th, 358th, 359th, 360th, 361st, 362nd, 363rd, 364th, 365th, 366th, 367th, 368th, 369th, 370th, 371st, 372nd, 373rd, 374th, 375th, 376th, 377th, 378th, 379th, 380th, 381st, 382nd, 383rd, 384th, 385th, 386th, 387th, 388th, 389th, 390th, 391st, 392nd, 393rd, 394th, 395th, 396th, 397th, 398th, 399th, 400th, 401st, 402nd, 403rd, 404th, 405th, 406th, 407th, 408th, 409th, 410th, 411st, 412nd, 413th, 414th, 415th, 416th, 417th, 418th, 419th, 420th, 421st, 422nd, 423rd, 424th, 425th, 426th, 427th, 428th, 429th, 430th, 431st, 432nd, 433rd, 434th, 435th, 436th, 437th, 438th, 439th, 440th, 441st, 442nd, 443rd, 444th, 445th, 446th, 447th, 448th, 449th, 450th, 451st, 452nd, 453rd, 454th, 455th, 456th, 457th, 458th, 459th, 460th, 461st, 462nd, 463rd, 464th, 465th, 466th, 467th, 468th, 469th, 470th, 471st, 472nd, 473rd, 474th, 475th, 476th, 477th, 478th, 479th, 480th, 481st, 482nd, 483rd, 484th, 485th, 486th, 487th, 488th, 489th, 490th, 491st, 492nd, 493rd, 494th, 495th, 496th, 497th, 498th, 499th, 500th, 501st, 502nd, 503rd, 504th, 505th, 506th, 507th, 508th, 509th, 510th, 511st, 512nd, 513th, 514th, 515th, 516th, 517th, 518th, 519th, 520th, 521st, 522nd, 523rd, 524th, 525th, 526th, 527th, 528th, 529th, 530th, 531st, 532nd, 533rd, 534th, 535th, 536th, 537th, 538th, 539th, 540th, 541st, 542nd, 543rd, 544th, 545th, 546th, 547th, 548th, 549th, 550th, 551st, 552nd, 553rd, 554th, 555th, 556th, 557th, 558th, 559th, 560th, 561st, 562nd, 563rd, 564th, 565th, 566th, 567th, 568th, 569th, 570th, 571st, 572nd, 573rd, 574th, 575th, 576th, 577th, 578th, 579th, 580th, 581st, 582nd, 583rd, 584th, 585th, 586th, 587th, 588th, 589th, 590th, 591st, 592nd, 593rd, 594th, 595th, 596th, 597th, 598th, 599th, 600th, 601st, 602nd, 603rd, 604th, 605th, 606th, 607th, 608th, 609th, 610th, 611st, 612nd, 613th, 614th, 615th, 616th, 617th, 618th, 619th, 620th, 621st, 622nd, 623rd, 624th, 625th, 626th, 627th, 628th, 629th, 630th, 631st, 632nd, 633rd, 634th, 635th, 636th, 637th, 638th, 639th, 640th, 641st, 642nd, 643rd, 644th, 645th, 646th, 647th, 648th, 649th, 650th, 651st, 652nd, 653rd, 654th, 655th, 656th, 657th, 658th, 659th, 660th, 661st, 662nd, 663rd, 664th, 665th, 666th, 667th, 668th, 669th, 670th, 671st, 672nd, 673rd, 674th, 675th, 676th, 677th, 678th, 679th,

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]